ऑन लाईन नं.RCMS2024/120

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 35/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह (विक्रेता व मालिक)
   मै0 गुरूकृपा डेयरी फार्म, बेगाराम मार्ग, भांभू चौक, पोलॉटेक्निक कॉलेज के पास, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 20.12.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 15.12.2023 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः–आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/ 2024/1225 दिनांक 09.07.2024 है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.03.2024 को समय 04.10 पीएम बजे **मै0 गुरूकृपा डेयरी फार्म, बेगाराम मार्ग, भांभू चौक, पोलॉटेक्निक कॉलेज के पास, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता **राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकश सिंह** (विक्रेता एवं मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान पर रखे **Milk** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा संस्थान में फ्रीज के अंदर केन में रखे लगभग 35 लीटर **Cow MILK** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **Cow MILK** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **Cow MILK** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया तथा आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **Cow MILK** में से 2 लीटर विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **Cow MILK** का नगद भुगतान 100/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Cow Milk** 02 लीटर को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूदें डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और 4 बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2204** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2204** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./303/Act/2024/303 Dated 02-04-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2204 Sub- Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह मै0 गुरूकृपा डेयरी फार्म, बेगाराम मार्ग, भांभू चौक, पोलॉटेक्निक कॉलेज के पास, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **Cow Milk** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.08.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्राथी राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह निवासी 13 एच तह. श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर का रहने वाला है, प्रार्थी स्नातक तक अध्ययन करने के उपरांत एक बेरोजगार युवक है और प्रार्थी को कोई नौकरी एवं अन्य रोजगार ना मिलने पर प्रार्थी ने मै. गुरूकृपा डेयरी का कारोबार बेगाराम मार्ग, भांभू चौंक के पास श्रीगंगानग में चलाया था और प्रार्थी गांवों से दूध इकट्ठा करके उक्त डेयरी फार्म पर बेचता है, जो कि प्रार्थी का नया–नया काम है और प्राथी को नया काम होने की वजह से प्रार्थी को इसमें स्टेंडर्डफूड और स्टेंडर्ड फूड का पूर्ण ज्ञान नहीं था। इस कारण से प्रार्थी की डेयरी में सबस्टेडंर्ड फूड पाय गया है। अब जैसे ही इस संबंध में प्रार्थी को पूर्ण ज्ञान हुआ है व प्रार्थी ने दूध विक्रेताओं को मिलावटी दूध ना डालने के लिए पाबंद कर दिया है और अब प्रार्थी ने अपनी गलती पर सुधार कर लिया है और प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने के लिए आपको पाबंद करता है तथा उक्त नोटिस विषयांतर्गत गलती के लिए क्षमा चाहता है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि उक्त समस्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी की अज्ञानता में हुई गलती को क्षमा किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर निरस्त फरमाने की कृपा करें। आपजी की अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Cow Milk** का सैम्पल **K-2204** जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./303/Act/2024/303 Dated 02-04-2024 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी गलती पर सुधार कर लिया है और प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने के लिए आपको पाबंद करता है तथा उक्त नोटिस विषयांतर्गत गलती के लिए क्षमा चाहता है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि उक्त समस्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी की अज्ञानता में हुई गलती को क्षमा किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर निरस्त फरमाने की कृपा करें। आपजी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Milk" bearing Code No and Sr. No. K-2204, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform the standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये **15,000–00 (अखरे रूपये पंद्रह हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)